



कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति

(नीति आयोग, भारत सरकार की दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत)

द्वारा घर से बाहर रहकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एवं शिक्षार्थियों को शिक्षण संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समिति द्वारा स्थापित किये जाने वाले **यशस्वी भव: पुस्तकालय** की स्थापना सम्बन्धी विवरण:—

यशस्वी भव: पुस्तकालय के स्थापना का मुख्य उद्देश्य शिक्षारत विद्यार्थियों, प्रतियोगी अभ्यर्थियों के अधिकारों का संरक्षण हेतु कार्य करना, उनकी आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सहायता प्रदान कर बढ़ावा देना और उन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराना एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करना है। छात्रवृत्ति एवं शिक्षा संबंधी लाभपरक योजनाओं का लाभ लेने हेतु पंजीकरण, कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु प्रोत्साहित करना है। केन्द्र के माध्यम से शिक्षा से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों का विद्यालयों के माध्यम से संचालन करना है। प्रतियोगियों के लिए ऑनलाईन शिक्षा का माध्यम उपलब्ध कराना है।

यशस्वी भव: पुस्तकालय के स्थापना का उद्देश्य—

छात्र कल्याण को बढ़ावा देना— विभिन्न प्रकल्पों में शिक्षा ग्रहण करने वाले एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतियोगी अभ्यर्थियों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना।

छात्र हित सुनिश्चित करना— लाभकारी छात्रहित की योजनाओं और लाभों तक पहुंच प्रदान करना, जैसे कि सरकारी छात्रवृत्ति योजनाएं, नामांकन संबंधी सुझाव, विषय चयन में सहायता और समिति द्वारा देय वित्तीय सहायता आदि।

जानकारी और सहायता प्रदान करना— छात्रों को उनके अधिकारों, कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी देना और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।

शिक्षा सहायता— समिति के सदस्यों एवं शिक्षार्थियों को **यशस्वी भव: परामर्श कार्यक्रम** के अंतर्गत उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु इच्छुक शिक्षार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों की जानकारी देना, नामांकन में सहायता प्रदान करना सहित अन्य शिक्षा संबंधी कार्य संचालित होगा। प्रतियोगी छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए भारत सरकार द्वारा प्रमाणित व संचालित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से प्रशिक्षण विषयों से लाभ लेने से वंचित प्रशिक्षण हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को शिक्षण संस्थानों से जोड़ कर उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।

केन्द्र स्थापनाकर्ता का नाम— कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति, लखनऊ।

केन्द्र का नाम— यशस्वी भव: पुस्तकालय,

केन्द्र का पता—

केन्द्र संचालक का नाम—

केन्द्र संचालक का पता—

यशस्वी भव: पुस्तकालय पर उपलब्ध सुविधाएं—

समिति सदस्यता पंजीयन— प्रत्येक केन्द्र पर समिति द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए समिति की सदस्यता का पंजीयन कराने की सुविधा उपलब्ध।

छात्रों का डेटाबेस तैयार करना— कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षा प्रकल्पों में शिक्षारत शिक्षार्थियों, उच्च शिक्षा हेतु छात्रों एवं कौशल विकास से वंचितों का केंद्रीकृत डेटाबेस बनाना, ताकि उन्हें आवश्यकतानुसार योजनाओं से लाभान्वित कराने संबंधी कार्य कराया जा सके।

वित्तीय सहायता— शिक्षार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न वित्तीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना, ताकि योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभ से शिक्षार्थी द्वारा अपने शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

जागरूकता अभियान— शिक्षार्थियों के अधिकारों और उपलब्ध योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सेमिनार, कार्यशाला और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना।

केन्द्र की बनावट— केन्द्र पर बैनर, बुकलेट, पम्फलेट, बोर्ड आदि का डिजायन समिति के द्वारा तय कर उपलब्ध कराया जायेगा, आवश्यकतानुसार बदलाव किया जायेगा।

शिक्षा सेवा— केन्द्र के आंकलन के आधार पर उचित एवं सुरक्षित स्थान पर प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले, अन्य शिक्षा के आयामों से जुड़े हुए छात्रों के लिए न्यूनतम अनुदान पर **यशस्वी भव: पुस्तकालय** की स्थापना करना, छात्रवृत्ति वितरण करना, **यशस्वी भव: परामर्श कार्यक्रम** के अंतर्गत उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु उच्च शैक्षणिक संस्थानों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराकर परामर्श के उपरांत नामांकन आदि में सहायता प्रदान करना। उच्च प्रतिष्ठित संस्थाओं की शिक्षार्थी के कल्याण हेतु जारी कार्यक्रमों का प्रचार—प्रसार करना।

अनुदान कार्य— समिति द्वारा स्वयं एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं एवं गैर सरकारी संस्थाओं को नियमों के अनुसार अनुदान प्रदान करने वाली योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना, अनुदान हेतु आवेदन—पत्र भरने में सहायता प्रदान करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने में सहायता प्रदान करने सहित अन्य कार्य संपादित करना।

केन्द्र पर लिया जाने वाला सदस्यता एवं सेवा शुल्क— प्रत्येक **यशस्वी भवः पुस्तकालय** पर लाभार्थी से सदस्यता एवं सेवा शुल्क के रूप में समिति द्वारा तय अनुदान राशि ही ली जायेगी। अगर किसी भी केन्द्र पर निर्धारित अनुदान राशि से अधिक ली जाने की शिकायत प्रमाण के साथ प्राप्त होती है तो उस केन्द्र संचालक पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए केन्द्र का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।

संस्थान द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क— समिति द्वारा संचालित कार्यक्रमों से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को संस्थान की सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी। उन्हीं सदस्यों को लाभ प्रदान किया जायेगा, जिनकी सदस्यता न्यूनतम 06 माह पूर्व में प्रदान की गई हो। प्रत्येक लाभार्थी द्वारा प्रत्येक कार्य हेतु समिति द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क देय होगा। प्रत्येक लाभार्थी को समिति द्वारा संचालित कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रथम बार सदस्यता शुल्क एवं प्रत्येक वर्ष सदस्यता नवीनीकरण शुल्क का भुगतान समिति के कार्यक्रमों को संचालन हेतु अनुदान के रूप में देना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण सदस्यता समाप्त की तिथि से 15 दिन के पश्चात् तक ही मान्य होगा, अगर किसी भी सदस्य द्वारा 15 दिन के पश्चात् नवीनीकरण कराने हेतु आवेदन नहीं मान्य होगा। अगर कोई छात्र सदस्यता ग्रहण करता है तो उसके माता या पिता के नाम से अनुदान राशि ग्रहण की जायेगी एवं छात्र को उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं निःशुल्क होंगी।

यशस्वी भवः पुस्तकालय पर लाभार्थियों हेतु उपलब्ध सुविधाएं— शिक्षार्थियों के लिए बैठने आरामदेह कुर्सी, वातानुकूलित कक्ष, स्वच्छ पेय जल, समाचार पत्र, प्रतियोगी पुस्तकें, शिक्षण सामग्री, योजनाओं की जानकारी हेतु बुकलेट, सरकार के कार्यक्रमों एवं संस्थान के कार्यक्रमों का सूचनापट्ट, इन्टरनेट सुविधा, ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने की सुविधा, ऑनलाईन शिक्षण सामग्री की उपलब्धता, तकनीकी प्रशिक्षण सहित अन्य सुविधाएं सदस्यता के उपरांत उपलब्ध होंगी।

कार्य का लक्ष्य— प्रत्येक केन्द्र पर प्रतिमाह लगभग 100 शिक्षार्थियों का नामांकन अनिवार्य। अगर किसी केन्द्र संचालक द्वारा समिति द्वारा निर्धारित लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जाता है तो उनको भुगतान किये जाने वाले मासिक सहायता में से कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

केन्द्र पर अनैतिक कार्य एवं भ्रष्टाचार करने की दशा में अधिरोपित किये जाने वाले दण्ड, जुर्माना राशि आदि का विवरण— अगर किसी भी केन्द्र संचालक या समिति के कर्मियों द्वारा किसी भी लाभार्थी से समिति द्वारा निर्धारित सुविधा शुल्क से अधिक शुल्क लिया जाना प्रमाणित होता है, उनके विरुद्ध केन्द्र के निरस्तीकरण, सुरक्षा राशि जब्तीकरण, सेवा से मुक्त किये जाने सहित अन्य नियमों में निर्धारित कार्यवाही की जायेगी।

लाभार्थी को योजनाओं का लाभ— चूंकि समिति एक गैर सरकारी संस्थान के रूप में समाज के हित के लिए कार्य संचालन करती है। समिति द्वारा उन्हीं योजनाओं में पंजीकरण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जो कि सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित हैं। इसके साथ ही समिति के किसी भी प्रतिनिधि द्वारा किसी भी योजना के लाभ दिलाने की पूर्ण भरोसा नहीं दिया जायेगा।

हमारा उद्देश्य केवल उचित लाभार्थी को उनके लिए संचालित योजनाओं की निःशुल्क जानकारी देना एवं आवेदन करने में सहायता करना मात्र है। अगर किसी भी प्रतिनिधि द्वारा लाभ दिलाने का भरोसा दिया जाता है उनकी सेवा समाप्त करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही करायी जायेगी।

केन्द्र के संचालन हेतु वित्तीय स्रोत— केन्द्र का संचालन समिति के द्वारा कामगारों, समुदाय के निवासियों एवं शिक्षार्थियों के कल्याणार्थ किया जाना है। केन्द्र संचालन हेतु समिति के सदस्यों, पदाधिकारियों, समाज के वरिष्ठजनों, समिति की सदस्यता एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान से किया जायेगा। यह पूर्णतया निजी सेवा क्षेत्र का कार्यक्रम है।

सरकारी प्रतीक चिन्ह का उपयोग— चूंकि समिति एक गैर सरकारी संस्थान के रूप में पंजीकृत सामाजिक सेवा संस्था है और समाज के वंचित वर्ग के कल्याण हेतु कार्य कर रही है, जिन्हें सरकारी योजनाओं में पूर्ण हिस्सेदारी नहीं प्राप्त हो रही है। जिसमें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं आदि के संबंध में निःशुल्क प्रचार-प्रसार का कार्य करती हैं, तो आमजन को जागरूक करने हेतु केवल प्रतीक के रूप में सरकारी चिन्हों का उपयोग करती हैं, जिसका उद्देश्य केवल आमजन को सरकार के कार्यक्रमों को प्रतीक चिन्हों के माध्यम से अवगत कराना है।

निर्णय— समिति के अध्यक्ष को किसी भी केन्द्र के निरस्तीकरण एवं कर्मियों की सेवा समाप्ति करने, वित्तीय सहायता रोकने के अधिकार पूर्ण सुरक्षित हैं।

सम्पर्क हेतु विवरण—

कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति,

पता— 65/037, रामपाल अधिकारी मार्ग, लालकुआं वार्ड, नजदीक छितवांपुर पुलिस चौकी, लखनऊ-226001.,

किसी भी जानकारी के लिए मो0— 7311169553 पर व्हाट्सअप मैसेज करें या नीचे लिखे गये ई-मेल पर मेल करें या वेबसाईट पर खोजें—

ई मेल—samajiksurkshasamiti@gmail.com

आवेदन पत्र हेतु लिंक— www.ksksociety.com



कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति

(नीति आयोग, भारत सरकार की दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत)

यशस्वी भव: श्रम श्री केन्द्र पर लिया जाने वाला शुल्क विवरण—

- 1— वार्षिक सदस्यता अनुदान—

	रु0 50 /—(केवल सामान्य लाभार्थियों हेतु)
	रु0 10,000 /—(विशिष्ट सदस्यता, प्रतिवर्ष)
	रु0 11,000 /—(आजीवन सदस्यता)
- 2— सदस्यता नवीनीकरण अनुदान— रु0 30 /—(प्रत्येक वर्ष)
- 3— सेवा अनुदान— रु0 10 /—(प्रत्येक कार्य हेतु)
- 4— ऐसे शैक्षिक क्षेत्र जहां पर अधिक संख्या में शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोचिंग, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक संस्थानों में अपना नामांकन कराकर वहां निवास करते हैं, उनके लिए उच्च सुविधायुक्त **यशस्वी भव: पुस्तकालय** की स्थापना की जायेगी और उन पुस्तकालयों में निम्न सुविधाएं उपलब्ध होंगी—
 - 4.1— पुस्तकालय संचालन अनुदान— रु0 200 /— ग्रामीण एवं रु0 300 /— प्रतिमाह शहरी क्षेत्र में।
 - 4.2— पुस्तकालय पर उपलब्ध सुविधाएं—**
 - 4.2.1— स्वच्छ पेयजल,
 - 4.2.2— हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र,
 - 4.2.3— विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी तात्कालीन जानकारी की पुस्तकें, ऑनलाईन वेबसाइट के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता न्यूनतम शुल्क के आधार पर। प्रतियोगी परीक्षाओं एवं अन्य कक्षाओं हेतु पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित।
 - 4.2.4— 100 शिक्षार्थी की एक साथ बैठने हेतु कुर्सी व डेस्क की व्यवस्था,
 - 4.2.5— 100 शिक्षार्थी—ग्रामीण एवं 200 शिक्षार्थी—शहरी क्षेत्र में उपयोग हेतु व्यवस्था,
 - 4.2.6— पुस्तकालय का संचालन शहरी क्षेत्र में 24 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटे होगा,
 - 4.2.7— प्रत्येक लाभार्थी को एक पुस्तकालय सदस्यता कार्ड दिये जायेंगे, उन्हें प्रत्येक दिवस पुस्तकालय उपयोग हेतु अपना कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा,
 - 4.2.8— प्रत्येक पुस्तकालय पर संचालन हेतु 01 लाईब्रेरियन, जो न्यूनतम 10वीं पास होगा एवं सहायक ग्रन्थालय व्यवस्थापक(डिप्लोमा इन लाईब्रेरी साइंस) का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।

4.2.9— शिक्षार्थी सदस्यता हेतु संबंधित लाभार्थी को समिति द्वारा प्रदत्त आवेदन पत्र, अपना आधार कार्ड, शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र, एक पासपोर्ट साईज फोटो, मोबाईल नं० देना अनिवार्य होगा।

4.2.10— उपरोक्त दिये गये सेवा कार्यों के समक्ष सेवा अनुदान राशि का विवरण अंकित किया गया है, उक्त सेवा अनुदान राशि में समय एवं स्थान के अनुसार परिवर्तन समय-समय पर समिति के निर्णय के अनुसार किया जायेगा।

5— प्रचार कार्यक्रम— समिति द्वारा स्थापित किये जाने वाले यशस्वी भवः श्रम केन्द्रों, पुस्तकालयों एवं अनुबंधित संस्थाओं में साईज के अनुसार अनुबंधित प्रतिष्ठानों के कार्य, योजनाओं, शैक्षणिक कार्यों को प्रचारित किया जायेगा। प्रचार सामग्री संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। प्रचार हेतु स्थान का आरक्षण 01 माह(रू० 150/-), 03 माह(रू० 400/-), 06 माह(रू० 850/-), एवं 01 वर्ष (रू० 1500/-) के लिए किया जायेगा। उपरोक्त शुल्क प्रदर्शन हेतु लिखा गया है, शुल्क स्थान एवं मांग के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। अगर संबंधित संस्थान द्वारा बैनर लगाने की दशा में समिति द्वारा स्थान की उपलब्धता के अनुसार सूचित किया जायेगा एवं उसी साईज का बैनर लगाया जायेगा।

6— अनुदान सहायता— समिति द्वारा समाज के शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक व बालिकाओं के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, समाजोपयोगी कार्यक्रम, जागरूकता व स्वास्थ्य शिविर संचालित करने वाली शैक्षणिक एवं समाजसेवी संस्थाओं को समिति द्वारा चयनित कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन के लिए समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के क्रम में अनुदान प्रदान किया जाता है। समिति द्वारा पुस्तकालय संचालन एवं कक्षा-08 तक संचालित शिक्षण संस्थानों को विशेष कर अनुदान उपलब्ध वित्त के अनुसार किया जाता है। समिति द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठान, जो कि विभिन्न कार्यक्रमों हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है, ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित संस्थाओं को जोड़ने हेतु जानकारी देना, कागजात तैयार करने में सहायता, अनुदान हेतु आवेदन करने में सहायता, कार्यक्रम के आयोजन में सहायता, नुक्कड़ नाटक, मंच संचालन, प्रचार सामग्री तैयार कराने, विभिन्न कार्यक्रमों के मंचन हेतु प्रशिक्षित कलाकारों का समूह उपलब्ध कराने, राष्ट्र, धर्म, समाज आदि से संबंधित ऐतिहासिक कार्य को करने वाले महापुरुषों की जीवनी से संबंधित लघु फिल्मों का प्रसारण सहित अन्य सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियाँ करायी जायेंगी एवं कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। समिति द्वारा किसी भी ऐसे संस्थान के साथ संयुक्त रूप से कार्य किया जायेगा जो कि समिति के सदस्य हो एवं समिति के कल्याणकारी कार्यों के संचालन हेतु अनुदान प्रदान करते हो।

7— हरित ऊर्जा से जुड़ी सेवाएं— केन्द्र सरकार द्वारा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महंगे विद्युत बिल से बचाव एवं पर्यावरण संरक्षा के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना एवं कृषकों को सिंचाई सुविधा हेतु संचालित पी०एम० कुसुम योजना और उ०प्र० सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अनुदान सहित सौर ऊर्जा स्थापना का कार्य कराना।



कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति

(नीति आयोग, भारत सरकार की दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत)

द्वारा समस्त आयामों के कामगारों, शिक्षार्थियों एवं ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किये जाने वाले यशस्वी भवः पुस्तकालय आवंटन हेतु

आवेदन-पत्र

आवेदक/आवेदिका का नाम—

पिता/पति का नाम—

स्थायी पता—

मोबाईल संख्या—

ई-मेल—

शैक्षिक योग्यता—

अनुभव—

पुस्तकालय स्थापित करने का पता—

निम्न दस्तावेज संलग्न करें—

1— शपथ पत्र—

2— आधार कार्ड—

3— फोटो—

4— शैक्षिक प्रमाण-पत्र—

5— स्वामित्व की प्रति/एनओसी/किरायेदारी अनुबंध—

6— कैंसल चेक की मूल कॉपी—

मैंने उपरोक्त जानकारी एवं संलग्न अभिलेख अपनी जानकारी में सही प्रस्तुत किया है, समिति द्वारा मेरे आवेदन में कोई भी गलत तथ्य पाये जाते हैं तो आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जाये। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक—

स्थान—

(आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर)

पता—

मोबाईल सं०—



कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति

(नीति आयोग, भारत सरकार की दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत)

द्वारा समस्त आयामों के कामगारों, शिक्षार्थियों एवं ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किये जाने वाले

यशस्वी भवः श्रम श्री केन्द्र आवंटन हेतु

स्व-शपथ पत्र

मैं आवेदक/आवेदिका शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में अंकित एवं संलग्न की गयी सभी जानकारियां सत्य हैं, मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई सूचना छुपायी नहीं गयी है।

- 2— मैं समिति के नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ।
- 3— मैं किसी भी प्रकार के अपराधिक षडयंत्र या मुकदमें या न्यायिक प्रक्रिया में वांछित या शामिल नहीं हूँ।
- 4— मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय संस्थान से वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी नहीं की गयी है और ना ही मैं किसी धोखाधड़ी हुए वित्तीय लेन-देन में बतौर गवाह शामिल हूँ।
- 5— मेरे द्वारा अगर समिति के नियमों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी, गैर अनुमति वित्तीय लेन-देन, समिति के नाम पर अवैधानिक कार्य करते हुए प्रमाणित होने की दशा में समिति द्वारा मेरे खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु समिति को पूर्ण अधिकार होगा।

उपरोक्त स्व-शपथ पत्र में दिये गये बयान मेरे द्वारा सही तरीके से पढ़ कर, समझ कर हस्ताक्षरित कर दिया गया है।

दिनांक—

स्थान—

(शपथी/शपथिनी का हस्ताक्षर)

पता—

मोबाईल सं०—



कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति

(नीति आयोग, भारत सरकार की दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत)

द्वारा शिक्षा में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किये जाने वाले
यशस्वी भवः पुस्तकालय में पुस्तकालय के उपयोग हेतु सदस्यता आवेदन पत्र का प्रारूप

सदस्यता आवेदन पत्र

आवेदक का नाम—

पिता/पति का नाम—

स्थायी पता—

अस्थायी पता(पी0जी0, हास्टल या अन्य)—

मोबाईल संख्या/ई-मेल—

शैक्षिक योग्यता—

आधार कार्ड संख्या—

वर्तमान में शिक्षा ग्रहण करने वाले संस्थान का नाम(कोचिंग, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय)—

वर्तमान में शिक्षा ग्रहण करने वाले संस्थान का पता—

संलग्न किये जाने वाले अभिलेख— 1. आधार कार्ड, 2. शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र, 3.
01 पासपोर्ट साईज फोटो, 4. सदस्यता आवेदन—पत्र।

मैंने उपरोक्त जानकारी एवं संलग्न अभिलेख अपनी जानकारी में सही प्रस्तुत किया है, समिति द्वारा मेरे आवेदन में कोई भी गलत तथ्य पाये जाते हैं तो सदस्यता आवेदन—पत्र निरस्त कर दिया जाये। मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक—

स्थान—

(आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर)

पता—

मोबाईल सं0—

यशस्वी भव: श्रम श्री केन्द्र एवं पुस्तकालय का प्रतिकात्मक स्वरूप

असंगठित से संगठित

पंजीकरण संख्या – 03057 / 2025-26

श्रम का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान



कर्मकार सामाजिक कल्याण समिति

(नीति आयोग, भारत सरकार की दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत)

यशस्वी भव: श्रम श्री केन्द्र



यशस्वी भव: श्रम श्री केन्द्र पर क्रियान्वयन किये जाने वाले कार्य-
जागरूकता एवं पंजीयन शिविर का आयोजन-
कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन-
रोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण-
श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करना-
वित्तीय सहायता कार्यक्रमों की जानकारी-
श्रमिक विवाद समाधान सहायता-
स्वास्थ्य सेवा-
शिक्षा सेवा-
अनुदान कार्य सहायता-
सदस्यता प्रदान करना-

यशस्वी भव: पुस्तकालय



कृपया सम्पर्क करें

सम्पर्क :- 7311169553, ई-मेल- samajiksurkshasamiti@gmail.com

Website : www.ksksociety.com